हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

वर्ष : 12 अंक : 2 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 फरवरी, 2021

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

जुलाई तक सरकार को फाइनल रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद

ओ.बी.सी. के आरक्षण कोटा को 4 भागों में बांटा जाएगा ?

एक आयोग अक्टूबर 2017 को गठित हुआ था, यह तहकीकात करने के लिए कि ओबीसी की केवल 100 जात तीन चौथाई आरक्षण कोटा का लाभ लेती हैं ?

- आयोग ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ओ.बी.सी. कोटा को चार वर्गों में विभाजित करना चाहिए।
- रिपोर्ट के अनुसार 97 डोमिनेंट जात, कुल आरक्षण का दस प्रतिशत लाभ लेती है।
- इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डोमिनेंट कास्ट के लोग पूरे आरक्षण कोटा का एक चौथाई सीटों पर काबिज होते हैं।
- कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में आरक्षण में क्रीमीलेयर के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की।

नई दिल्ली। अक्टूबर 2017 में एक कमीशन गठित हुआ था दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस गोरिया रोहिणी के नेतृत्व में, जो उसी वर्ष अप्रेल में रिटायर हुई थी, यह आयोग उन 100 समुदायों की जांच के लिए गठित हुआ था जिनके बारे में माना जाता है कि अदर बैकवर्ड क्लासेज (ओबीसी) को दिये जाने वाले आरक्षण का तीन चौथाई भाग हथिया लेते हैं। समझा जाता है कि इस आयोग ने ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को चार भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा है।

इसने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई है और उम्मीद है कि जुलाई तक सरकार को फाइनल रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इस आयोग को अब तक दस बार विस्तार मिल चुका है, इसे असल में मार्च 2018 में रिपोर्ट देनी थी। मार्च में आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा करेगा और ड्राफ्ट रिपोर्ट पर उनके सुझाव लेगा और उन जातियों के लोगों से भी मिलेगा जिन्हें समायोजित करना है।

यदपि सरकार चाहती है कि प्रभुत्व सम्पन्न जातियों द्वारा लिये जा रहे कोटा को आयोग कम कर दे। फिर भी इसको रिपोर्ट के अनुसार 10 प्रतिशत कोटा 97 प्रभुत्व सम्पन्न जातियों को मिला है। आयोग द्वारा एकत्रित आंकड़ों से पता चलता है कि गत 5 साल से कुल 25 प्रतिशत लाभार्थी प्रभुत्व सम्पन्न जातियों से हैं।

केन्द्रीय सूची में 2633 ओबीसी जातियाँ है जिन्हें सरकारी नौकरी व उच्च अध्ययन में 27 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है। समझा जाता है कि आयोग ने एक श्रेणी में शामिल 1674 जातियों के लिए सिर्फ दो प्रतिशत कोटा चाहा है। जबकि ये वो जातियाँ हैं जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ अब तक नहीं मिला है। एक अन्य श्रेणी में शामिल 534 जातियों के लिए 6 प्रतिशत और एक और श्रेणी में शामिल 328 जातियों के लिए 9 प्रतिशत कोटा मांगा गया है। यह तय नहीं है कि सरकार नया कोटा सिस्टम कब लागू करेगी, क्योंकि आयोग ने लाभ कि लिए जातियों के विभाजन की कोई तारीख नहीं दी है।

कमीशन ने ओबीसी में क्रीमीलेयर के मुद्दे को स्पर्श नहीं किया है जिन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया गया है। क्रीमीलेयर में आय की सीमा आखिरी बार 2017 में बढाई गई थी और इसे 6 लाख से बढाकर 8 लाख रूपये सालाना कर दिया गया था। इसके तहत 8 लाख रूपये या इससे अधिक सालाना आय वालों को तीन साल के लिए आरक्षण कोटा से वंचित कर दिया गया था।

सन 1993 में यह सीमा एक लाख रूपये रखी गयी थी इसके बाद से इसे तीन बार बढाया जा चुका है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मामले में क्रीमीलेयर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, हालांकि सरकार के यह संकेत देने पर बहुत हो हल्ला है कि एससी एवं एसटी वर्ग में उन लोगों के लाभ को प्रतिबंधिक करने का समय आ गया है जो पहले से इसका फायदा ले चुके है।

ओबीसी में क्रीमीलेयर को संशोधित करने की समय सीमा वर्ष 2020 में ही पूरी हो चुकी है। क्योंकि हर तीन वर्ष बाद बढाया जाता है परन्तु इसलिये रोक दिया गया था कि रोहिणी अयोग की रिपोर्ट आने की प्रतिक्षा की जा रही थी लेकिन कोविड-19 महामारी फैल गयी थी।

सरकार ने अस्थायी रूप से निर्णय ले लिया है कि वह ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा को 8 लाख से बढाकर 12 लाख रूपये करेगी।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा यह संकेत देने पर उनका काफी विरोध हुआ था कि आय कि गणना करते वक्त अभिभावकों के वेतन को भी इसमें जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा इस बात पर आपत्ति किये जाने के कारण यह प्रस्ताव रूक गया था।

पदोन्नति में आरक्षण : एम. नागराज के निर्णय की पालना पर सुप्रीम कोर्ट गम्भीर

प्रमोशन में आरक्षण के विरूद्ध इंदिरा साहनी का पहला और दूसरा एम नागराज का सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये ऐसे निर्णय हैं जिसने पूरे देश की नौकरशाही को प्रभावित किया है। विशेषकर एम नागराज का निर्णय अधिक चर्चित और सम्मानित भी हो गया है। इसी निर्णय के अधीन हाल ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने भारत के अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल को निर्देश दिया है कि केन्द्र सरकार के साथ प्रदेश सरकारों और अन्य लोगों के जो लगभग पांच दर्जन याचिकाऐं एम नागराज संविधान पीठ (पांच जज) के निर्णय के सम्बंध में दायर की है। उन सबसे अलग-2 शपथ पत्र लेकर उनका वर्गीकरण करके प्रस्तुत किया जाये ताकि एक साथ सब पर की गई प्रार्थनाओं के अनुसार सुनवाई की जा सके।

ग्यातव्य है कि यह केस मुख्यत: केन्द्र सरकार की उस याचिका पर आधारित है जिसमें उसने एम नागराज के निर्णय को समीक्षा के लिये सात जजों की बेंच को भेजे जाने की प्रार्थना की है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा 2018 में जरनैल सिंह बनाम भारत सरकार केस में दिये गये निर्णय के विरोध में दायर की गई है। इसका कारण ये है कि पांच जजों की संविधान पीठ ने केन्द्र सरकार की इस दलील को मानने से मना कर दिया था कि एम. नागराज केस में एससी/एसटी की क्रीमी लेयर अवधारणा को सही ढंग से नहीं लिया गया है। इस केस में जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन, ने 2006 के एम नागराज के निर्णय को आंशिक रूप से तो बदल दिया था लेकिन उसे सात जजों की बैंच को भेजने से मना कर दिया था।

इन हालातों के कारण पूरे देश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक उहापोह की स्थिति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के यथा स्थिति आदेश के बावजूद कहीं प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है और कहीं रूका हुआ। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया के लिये छ: सप्ताह का समय दिया है।

अध्यक्ष की कलम से

फेसबुक की दादागिरी

साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि "If you consume free service or product of a company, you yourself become a product of that company" ठीक यही कहावत फेस बुक के मामले में हम पर चरितार्थ हो रही है, हम अनजाने में ही फेसबुक के उत्पाद बन गये हैं और जगह-जगह बेचे जा रहे हैं।

अभी पिछले दिनों समता आन्दोलन द्वारा "भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का आह्वाह:आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भगाइये" शीर्षक से एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड की गयी थी। इस वीडियों में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जो कोविड-19 से बचाव, उपचार एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए जिन आयुर्वेदिक औषधियों और योग-प्राणायाम के उपयोग का प्रोटोकॉल जारी किया गया था उसका सारांश समझाया गया था। यह सारांश समता आन्दोलन समिति द्वारा एक पृष्ठ के पैम्फलेट के रूप में जारी किया गया है। इस महत्वपूर्ण पैम्फलेट का विमोचन हाईकोर्ट जस्टिस, आयुर्वेद कुलपति, राष्ट्रीय संस्थान निदेशक से करवाकर राज्यपाल के जरिये करोड़ों नागरिकों को लोकार्पण किया गया। दुर्भाग्य से फेसबुक ने दादागिरी करते हुये इन सभी लब्धप्रतिष्ठ संवैधानिक पदों की गरिमा को नजर अंदाज करते हुये हमारी वीडियो को डिलीट कर दिया। सभी जानते हैं कि एलोपैथी की मल्टीनेशनल कम्पनियों की लॉबी किसी भी कीमत पर आयुर्वेद को प्रचारित व प्रतिष्ठित नहीं होने देना चाहती हैं। इसी दबाव में फेसबुक द्वारा यह अविधिक एवं अपमानजनक करतूत की गयी है। समता आन्दोलन अपने विद्वान वकीलों से सलाह करके फेसबुक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का विचार कर रहा है। सादर।

सम्पादकीय

''दो कारण दो बातें''

दो ही बातें हैं। पहली-जाति आधारित आरक्षण समाप्त हो चुका है। और दूसरी या फिर यह लाईलाज बीमारी बनकर खून के साथ देश की नस-नस् में समा चुका है। इनमें दूसरी पर विश्वास करना अधिक आसान है। इसके दो कारण है। पहला-देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं कि ''मेरे रहते आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। और दूसरा स्वयम प्रधान मंत्री ने अपने कथन को प्रमाणित करते हुए ''आर्थिक पिछड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देकर सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत आरक्षण की सीलिंग को तोड़कर एक तरह से संकेत दे दिया है कि देश के प्रशासन को अब योग्य और प्रतिबद्ध अधिकारी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है?

आगे फिर दो बातें आती हैं। पहली देश संवैधानिक प्रक्रिया से चलना चाहिये अथवा दूसरी कथित राजनैतिक जिद और जड़ता को देश पर थोपा जाना उचित है? इनमें से पहली बात तो अब समाप्त प्राय:ही मानी जायेगी। क्यों कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब ''ला ऑफलैंड'' की पवित्र सीमाओं से बाहर हो चुका है। स्वयम् सुप्रीम कोर्ट यदि जाति आरक्षण मामले में अब तक दिये गये अपने निर्णयों (न्याय नहीं) को लेकर बैठे और उनकी समेकित समीक्षा करे तो अपने ही निर्णयों की विरोधाभासी गणना को गिनकर हतप्रभ रह जायेगा।

राजनैतिक जिद और जड़ता की बात करें तो फिर से दो बातें सामने आती हैं। पहली लोकतंत्र में राजनीति कहाँ और कब प्रवेश कर गई? और दूसरी बात ये कि लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी सरकारों का स्वरूप यूं सबके देखते-देखते लोककष्टकारी कैसे बन गया?आगे बढे तो लोक कल्याणकारी लोकतंत्र में लोक की जो महान भूमिका हुआ करती थी वो ई वी एम मशीन के बटन पर एक सैंकेड से कम समय तक ठहरने वाली अंगुली तक ही सीमित कैसे रह गई? इसके भी दो कारण हैं। पहला देश की आजादी के लिये लड़ने वाले लोग और उनके अवशेष तक समाप्त हो चुके हैं। दूसरा लोकतंत्र अब पार्टी तंत्र में बदल चुका है। हांलाकि ये दोनों एक दूसरे से एक सिक्के के दो पहलू की तरह जुड़े हैं। फिर भी दोनों का अपना अलग और खास महत्व है।

लोकतंत्र को स्थापित करने के लिये देश में फैली लगभग साढ़े छ: सौ रियासतों को तिरंगे के नीचे लाने वाले तपस्वी और मनस्वी लोगों के मन - प्राण में महात्मा गांधी ने जन की महत्ता को इतनी गहराई तक प्रतिष्ठा दी कि उनके बाद के अवशेष भी उसे बदल नहीं पाये। उसके बाद के समय में जब शासन सूत्र जन-सेवा से छूटकर सत्ता के मद से जुड़े तो ऐसे कथित राजनेताओं को जाति आधारित आरक्षण ऐसा दुधारी तलवार के रूप् में प्रस हुआ जो दोनों तरफ काटती थी और धारक को निरापद बनाती गई। यही कारण है कि जन से कटे और लोकतंत्र की गंभीरता को न समझने वाले कथित राजनेताओं की पौ बारह हो गई।

जातिवाद को समाप्त करने के चक्कर में नई-नई जातिया खड़ी होती गई और पिछड़ापन विकास की परिभाषा बन गया। मूल्यों और मानव चेतना पर एक के बाद एक कानून थोपे गये । क्या कोई बता सकता है कि आज देश में हर तरफ एक असंतोष क्यों है? ऐसा क्या हो गया कि संविधान लागू होने के सत्तर साल बाद भी देश जातिवाद के जहर को पीने के लिये अभिशप्त है। इसके भी दो कारण.....।

जय समता

- योगेश्वर झाड़सरिया

समता के विचार पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर

गृहिणी बिना वेतन घरेलू काम करती हैं, जिसका परिवार के आर्थिक विकास में योगदान; फिर भी वे आर्थिक विश्लेषण से दूर क्यों: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। 'यह रूढ़ीवादी सोच है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, वे काम नहीं करती। इसे बदलना चाहिए। महिलाएं घरों में पुरूषों के मुकाबले अधिक काम करती हैं।' यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने वाहन दुर्घटना के एक मामले में मुआवजा राशि बढ़ाते हुए की।

दरअसल, दिल्ली के दंपती की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह 40 लाख रू. मुआवजा दे। कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने महिला के गृहिणी होने के कारण आय का न्यूनतम निर्धारण करते हुए मुआवजा घटाकर 22 लाख कर दिया। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना, एम अब्दुल नजीर और सूर्यकांत ने मुआवजा तय करते समय बच्चियों की मां द्वारा गृहिणी के रूप में किए जाने वाले काम को तरजीह दी। साथ ही मुआवजा राशि 22 लाख से बढ़ाकर 33 लाख रूपए कर दी। जस्टिस रमना ने अलग से लिखे फैसले में कहा है कि महिलाओं का घरेलू कार्यों में समर्पित समय और प्रयास

समता आन्दोलन समिति ने मई 2016 में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी सांसदों को ज्ञापन भेज कर कहा गया कि- घरेलू श्रम को मान्यता देवें। घर की गृहिणियों को उनके श्रम के बदले पारिश्रमिक देना शुरू करें।

ज्ञापन के अंश

भारतीय संस्कृति की सुरक्षा एवं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उन करोड़ों महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है जो घर में रहकर भारत के नौनिहालों का लालन-पालन करती है, उन्हें भारतीय संस्कृति के संस्कार देती हैं, शिक्षा देती है, सुरक्षा व आत्मविश्वास देती है, पारिवारिक इकाई को बनाये रखती है। इसी तरह वे घरेलू महिलाएँ देश के आर्थिक, सामाजिक व सामरिक विकास में भागीदार पुरूषों को भोजन बनाकर खिलाती है, बीमारी में उनकी सार-सम्भाल करती हैं, उनकी कार्यक्षमता को बनाये रखती हैं तथा उन्हें रोजाना तरोताजा और नयी स्फूर्ति के साथ उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर बढने को प्रेरित करती हैं ताकि पूरा देश आगे बढता रहे। ऐसे अनगिनत कार्य हैं जो घरेलू महिलाएँ 24 घण्टे 365 दिन बिना किसी अवकाश एवं पारिश्रमिक के लगातार हजारों वर्षों से करती आ रही हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में से यदि घरेलू महिलाओं को अलग कर दिया जावें तो पूरे देश की कार्यक्षमता और जीडीपी आधी रह जायेगी। पूरे देश की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था की इस अतिमहत्वपूर्ण धूरी को जीवन पर्यन्त समर्पण, परिश्रम, त्याग व बलिदान के बदले केवल भुलावे के शब्द, आश्रिता और अबला बनाये रखने के षड़यंत्र, सामाजिक/घरेलू अपमान तथा दैनिक मानसिक/शारिरिक प्रताड़ना ही पुरस्कार में मिलती है। क्या केवल घरेलू हिंसा कानून के ही बल पर महिला सशक्तिकरण सम्भव है ? जब तक भारतीय नारी को आर्थिक रूप से समर्थ नहीं बनाया जाता तब तक नारी सम्मान, महिला सशक्तिकरण, अबला सुरक्षा आदि सभी प्रोजेक्ट केवल जुमले मात्र हैं। आप इस देश के प्रत्येक पीड़ित और कमजोर वर्ग को सबल, सशक्त और गरिमा पूर्ण जीवन जीने का हक देना चाहते है तो कृपया:-**घरेलू श्रम को मान्यता देवें। घर की गृहिणियों को उनके श्रम के बदले पारिश्रमिक देना शुरू करें।** यह पारिश्रमिक तय करने के लिए महिला की शिक्षा, परिवार के स्तर या घर के मुख्यकर्ता की आय को आधार बनाया जा सकता है। शुरू में हमारा सुझाव है कि पति अथवा मुख्यकर्ता की आय का 20 प्रतिशत तय करके सरकार द्वारा घर की गृहिणी के बैंक खाते में सीधे जमा कराया जावे।

पुरूषों की तुलना में अधिक होता है। गृहिणी भोजन बनाती है, किराना और जरूरी समान खरीदती है। बच्चों की देखभाल से लेकर घर की सजावट, मरम्मत और रखरखाव का काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाएं खेतों में बुवाई, कटाई, फसलों की रोपाई और मवेशियों की देखभाल भी करती है। उनके काम को कम महत्वपूर्ण नहीं आंका जा सकता। इसलिए गृहिणी की काल्पनिक आय का निर्धारण करना अत्यत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कानून व न्यायालय गृहिणियों के श्रम, सेवाओं और बलिदान के मूल्य में विश्वास करते है। यह कानूनन इस विचार की स्वीकृति है कि भले ही महिलाएं घरेलू काम अवैतनिक करती हैं, लेकिन उनके काम का परिवार के आर्थिक विकास में योगदान होता है। वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती है। इस अहम तथ्य के बावजूद गृहिणियों को पारपरिक रूप से आर्थिक विश्लेषण से दूर रखा गया है। हमारा दायित्व है कि अंतराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप इस मानसिकता में बदलाव किया जाए।

पदोन्नति में आरक्षण

''अखिलेश यादव का 'यू' टर्न''

उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज रहते हुए समाजवादी पार्टी हमेशा प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करती रही है। मुलायमसिंह से लेकर अखिलेश यादव तक ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस बुराई के खिलाफ खड़े रहे और सपा संसद से सड़क तक विरोध का स्वर उठाती रही।

लेकिन आज हालत ये है कि खुद अखिलेश यादव प्रमोशन में आरक्षण को अमली जामा पहनाने के लिये वादा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दलित समुदाय को साधने के लिये ही उन्होंने यू टर्न लिया है।

दरअसल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने राजनैतिक दलों से मिलकर प्रमोशन में आरक्षण देने की व्यवस्था को लागू करने का अभियान शुरू किया है।

इसी कड़ी में संघर्ष समिति के प्रतिनिधी मंडल ने अखिलेश यादव से मुलाकात करके अपनी मांग रखी तो यादव ने उन्हें आश्वासन दिया कि सपा की सरकार बनने पर न केवल पदौन्नति में आरक्षण शुरू किया जायेगा अपितु रिवर्ट हुए लोगों को भी दोबारा प्रमोशन दिया जायेगा। ध्यातव्य है कि मायावती ने पदौन्नति में आरक्षण शुरू किया था और अखिलेश यादव ने इलाहबाद हाईकोर्ट निर्णय के बाद करीब दो लाख लोगों को रिवर्ट कर दिया था।

अखिलेश यादव के यू टर्न के पीछे सियासी गणित है। प्रदेश मे 85 विधानसभा सीटें ऐसी हैं कुल मतदाता का 23 प्रतिशत दलित हैं।

यूपी में दलित वोट दो भागों में बंटा है। एक जाटव जिनकी आबादी करीब 14 प्रतिशत है इसके अलावा गैर जाटव का प्रतिनिधित्व भी 8 प्रतिशत है। हालांकि यू पी विधान सभा के चुनाव अभी दूर है लेकिन चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है।

पौराणिक कथन : 'केदारनाथ'

बद्रीकाश्रम से 101 मील दक्षिण में 11750 फुट ऊंचाई पर शिवतीर्थ। बैशाख से कार्तिक तक यहाँ की यात्रा होती है

कितने सारे ढोल बजाकर,
वे आरक्षण सही बताते।
संविधान को कर शर्मिन्दा-
लंपटता फिर-फिर दिखलाते।।

कविता

"पाप न लगता मारे खल"

चल चल भाई चलता चल,
अपने हित भी फलता चल।
ढोर नहीं तू मानव है-
जैसा चाहे सकता ढल''
तोड़ बेड़ियॉ भावों की,
गिनती कर निज चावों की।
थाम के अपनी सॉस को -
गिनती कर ले घावों की।
असमंजस को छोड़ो भी-
लपक छीन ले अपना फ्ल.....।।
विधी की धार सूख रही,
रोती कोयल कूक रही,
संसद की दीवारें अब-
लगता जैसे हूक रही।
भाग्य विधाता बन अपना-
लौटा दे अब सारे छल.....।।
धीमे चलना सही मगर,
जो मन कहता वही डगर ।
पांवों को मत रूकने दे-
वन प्रॉतर हो या कि नगर।
सहने की सीमा पूरी -
पाप न लगता मारे खल.....।।
चल चल भाई चलता चल,
अपने हित भी फलता चल।

-समता डेस्क

राज्य सभा कहिन

केन्द्रीय विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा है कि कोई भी अनुसूचित जाति का सदस्य यदि धर्म बदलकर ईसाई अथवा मुस्लिम बन जाता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

दूसरी तरफ यदि कोई हिंदु, सिख, बुद्ध में विश्वास प्रकट करता है तो उसे अनुसूचित जाति के आरक्षण और दूसरे लाभ मिलते रहेंगे। उन्होंने यह बात भाजपा के सांसद जी वी एल नरसिम्हाराव के प्रश्न का उत्तर देते हुये कही।

उनके जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि दलित यदि धर्म बदलते हैं तो उनके साथ उनके अधिकार भी प्रभावित होंगे।

मंत्री जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पिपुल एक्ट में ऐसा संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के इस्लाम अथवा ईसाई धर्म अपनाकर जनप्रतिनिधि बने हैं उन्हें अयोग्य करार दिया जावे।

हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है

गतांग से आगे:-

मंडल आयोग के मामले में दोनों सरकारी ज्ञापनों में केंद्रीय सेवाओं में सीधी भरती के मामले में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। पदोन्नति में आरक्षण का प्रश्न कोई विवादित मामला नहीं था, जैसा इसी मामले में स्वीकार किया गया था; लेकिन विद्वान् न्यायाधीशों ने एक गैर-विवादित मसले को सुलझा दिया; यद्यपि इस पर आपत्ति जताई गई कि पक्षों के अधिवक्ता एक साथ मिल गए थे और उन्होंने यह मसला खड़ा कर दिया तथा उसे बड़ी खंडपीठ के पास भेजा गया, ताकि उसी आधार पर निर्णय लिया जा सके; जबकि यह स्वीकार्य संवैधानिक नियम है कि किसी संवैधानिक मामले पर तब निर्णय नहीं दिया जा सकता जब तक वह मामला निर्णय के लिए उठाया नहीं जाता; खंडपीठ ने एक गैर-विवादित मसले पर संवैधानिक कानून के आधार पर निर्णय दे दिया, जो देश की मुल जनसंख्या के 22 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित करनेवाला था। यह एक स्वीकृत बात है। चूँकि यह कोइ मसला नहीं था और न ही ऐसा कोई साक्ष्य था, जो यह सिद्ध करता कि पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के कारण प्रशासन की गुणवता में ह्रास आया था; किसी मामले में एकसा कोई तथ्य भी मौजूद नहीं था।

वास्तविकता यह है कि इंद्रा साहनी मामले में तत्कालीन एटॉनी जनरल ने सरकार की ओर से यह बात स्वयं रखी थी- चूँकि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसमें पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान की बात नहीं की गई है, अत: मामले में इस तरह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस पर नौ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने विचार किया। नौ में से आठ न्यायाधीशों ने एकमत से फैसला दिया। यह यच है कि आदेश में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के प्रावधान की बात नहीं की गई है-माननीय न्यायाधीशों ने कहा था- ''लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि 'आरक्षण से संबंधित वैधानिक स्थिति को अंतिम रूप् से सुलझाने' के उद्देश्य से ही मामला बड़ी खंडपीठ को सौंपा गया था। इसीलिए हमें इस विषय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना पड़ा।'' और फिर, ''पदोन्नति के समय आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न इस विवादित आदेश से सीधे नहीं उठता। यह अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।'' और नौवें न्यायाधीश ने कहा कि उसके आठ साथी न्यायाधीशों ने जो कुछ किया, उसका संबंध एक गैर-विवादित मसले से है, अत: उसे माना नहीं जाना चाहिए।

खैर, आगे बढ़ते हैं।''हमें केवल संविधान में प्रयुक्त शब्दों पर नहीं जाना चाहिए ।'' प्रगतिवादी न्यायाधीशों की नसीहत होती है। न्यायमूर्ति वी.आर.कृष्णा अय्यर की राय है, ''भारतीय संविधान एक वृहद् सामाजिक दस्तावेज है, जिसका एक क्रांतिकारी उद्देश्य है- एक मध्यकालीन, वंशानुगत समाज को एक आधुनिक, समतावादी लोकतंत्र में रूपांतरित करना। इसके प्रावधानों को व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण द्वारा ही समझा जा सकता है, पांडित्यपूर्ण और परंपरागत विधिवाद से नहीं.....।''

> ''किसी देश का संविधान उस देश के जीवन का वाहन होता है और वह सरकार की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। अत: संवैधानिक प्रावधान का आशय स्पष्ट करते समय न्यायालयों का दृष्टिकोण भी व्यावहारिक होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय अमूर्त सिद्धांतों के चक्कर में उलझकर रह जाए।''

जी हाँ, अतिशयोक्ति की हद तक शब्दाडंबर का सहारा लेना तो प्रगतिवादियों की जैसे प्रवृत्ति ही बन गई है। संविधान के प्रगतिवादी अर्थ-निरूपण और उसके अंतर्गत न्यायपालिका की भूमिका-दोनों में ही यह प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है। न्यायमूर्ति पांड्यान कहते हैं, ''हमारा संविधान अपने स्वरूप् और भाग 4 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के कारण अद्वितीय है। मौलिक अधिकारों की संकल्पना संविधान के संकीर्ण और सीमित अर्थ-निरूपण के आधार नहीं बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर यथार्थ रूप में की गई है, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र, न्याय एवं अवसर के समान वितरण पर आधारित है। यद्यपि ब्रिटिश शासन समाप्त हुए पैंतालीस वर्ष और नया भारतीय संविधान लागू हुए बयालीस वर्ष हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनमानस में अब भी यही सवाल उमड़ रहा है कि क्या अवसर एवं स्तर की समानता का सिद्धांत देश के सभी नागरिकों के साथ समान रूप् से लागू किया जाना चाहिए और क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित 'सार्वजनिक सेवायोजन के मामले में अवसर की समानता' का सिद्धांत यथार्थ रूप् में लागू हुआ हैं? इसका उत्तर बड़े दु:ख के साथ 'न' में देना पड़ता है...।'' ''हमारे संविधान-निर्माताओं ने अनुच्छेद 14,15 और 16 को एक व्यापक उद्देश्य और शब्दावली से युक्त करके संविधान में जोड़ा है, ताकि निर्धनता, अशिक्षा एवं गुमनामी में रहने वाला समाज की पीड़ित व त्रस्त वर्ग, जो सामाजिक बहिष्कार और अन्य सामाजिक अत्याचारों का शिकार बना हुआ है, समानता की स्थिति से वंचित न रह जाए,... ।'' उनके मर्यादाहीन सामाजिक स्तर और निकृष्ट जीवन-दशाओं को देखकर यही आभास होता है कि समानता की स्थिति प्राप्त करने की उनकी आशा मृग-मरीचिका से ज्यादा कुछ नहीं है पिछड़े वर्गों की यह विकट और दयनीय स्थिति....।''

जी हाँ, इन अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों से माननीय न्यायाधीश के हृदय और सोच की विशालता-व्यापकता साफ झलक रही है। अन्य न्यायाधीशों ने सचेत भी किया कि यदि न्यायिक व्यवस्था, विचारधारा इसी तरह बेलगाम चलती रही तो एक समय ऐसा आएगा, जब कोई भी खंडपीठ अपनी इच्छा और सुविधानुसार टिप्पणी करने लगेगी। इससे संविधान का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा और इस प्रकार न्यायिक प्रशासन-अनुशासन को चोट पहुँचेगी। एन.एम. थॉमस मामले को ही लें, जिसमें न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने इस खतरे की ओर संकेत किया था। न्यायाधीशों द्वारा जिस प्रकार एक अमेरिकी न्यायाधीश द्वारा एक बिलकुल ही अलग संदर्भ वाले मामले में दिए गए निर्णय या अन्य विदेशी संदर्भ वाले शब्दों का प्रयोग करके पूरी व्यवस्था को ही एक अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, उसे देखकर न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा भी था कि ''न्यायधीशों को आँखें बंद करके इधर-उधर के चिंतकों के उद्धरण पर नहीं चलना चाहिए, चाहे वे कितने ही प्रसिद्ध क्यों न हों।...कोई ख्याति-प्राप्त चिंतक यदि किसी मत के समर्थन में कुछ बोलता-लिखता है तो दूसरा उतना ही ख्याति-प्राप्त चिंतक उस मत विपरीत भी लिख-बोल सकता है। इस प्रकार, मत के पक्ष और विपक्ष-दोनों में पर्याप्त तर्क मिल सकते हैं।'' अत्यंत सरल ढंग से उन्होंने यह अनुरोध किया था कि सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार के दृष्टिकोण से बचे। ''किसी देश का संविधान उस देश के जीवन का वाहन होता है और वह सरकार की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। अत: संवैधानिक प्रावधान का आशय स्पष्ट करते समय न्यायालयों का दृष्टिकोण भी व्यावहारिक होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय अमूर्त सिद्धांतों के चक्कर में उलझकर रह जाए।'' इस संदर्भ में उनकी एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है-संवैधानिक प्रावधान का आशय निकालते समय यह देखना जरूरी है कि उससे मौजूदा मामले पर और साथ-ही-साथ भविष्य में उठनेवाले उस प्रकार के मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी एक मामले के संदर्भ में हमें ऐसा कोई अर्थ अथवा आशय नहीं अपनाना चाहिए, जिससे अवसर की समानता जैसे बड़े आदर्श तक पहुँचने के लिए हर प्रकार के रास्ते तैयार करने का अवसर सुलभ हो जाए। इसी तरह ठोस तर्क के अभाव में हमें ऐसे मार्ग पर चलने से बचना चाहिए, वर्षों पहले सुलझाई जा चुकी कोई संवैधानिक स्थिति फिर से विवादों के घेरे में आकर उलझ जाए ।''

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का आह्वान

आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भगाइये।

मान्यवर,

हजारों वर्षों से परखी हुई भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एवं योग पर आधारित कोविड-19 (कोरोना) महामारी से बचाव, उपचार एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा प्रबन्धन प्रोटोकॉल दिनांक 06.10.2020 को जारी किया गया है। यह प्रोटोकॉल राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद और योग के छः प्रतिष्ठित संस्थानों (AIIA, IPGTRA, NIA, CCRAS, CCRYN और अन्य राष्ट्रीय शोध संगठनों) के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है।

1. कोविड-19 से बचाव के उपाय :

A. सामान्य और शारीरिक उपाय : (i) शारीरिक दूरी, श्वसन और हाथ की स्वच्छता रखें, मास्क पहनें (ii) एक-एक चुटकी हल्दी और नमक के गर्म पानी से गरारे करें (iii) घर से बाहर जाने और वापस आने पर अणु तैल/षड्बिन्दु तैल/तिल तैल/नारियल तैल या गाय का घी नाक में डालें (iv) अजवाईन या पुदीना या नीलगिरि तैल के साथ दिन में एक बार भाप लेना (v) नींद 7-8 घंटे (vi) मध्यम शारीरिक व्यायाम तथा (vii) योग (प्राणायाम आदि) प्रोटोकॉल (संलग्नक-एक व दो) का पालन करें।

B. आहार सम्बन्धी उपाय: (i) अदरक या धनिया या तुलसी या जीरा डालकर उबला हुआ पानी पीएँ (ii) ताजा, गर्म, संतुलित आहार लें (iii) रात्रि में गोल्डन मिल्क (150 मिली गर्म दूध में तीन ग्राम हल्दी चूर्ण) लेवें (iv) आयुष काढ़ा दिन में एक बार लेवें।

C. उच्च जोखिम आबादी या सम्पर्कों में कोविड-19 से बचने के लिए: (i) अश्वगंधा का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से लें (ii) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मि.ग्रा.एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (iii) च्यवनप्राश 10 ग्राम गर्म पानी/दूध के साथ प्रति दिन लेवें।

2. लक्षण रहित कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार :

(I) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक गर्म पानी से दिन में दो बार (iii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

3. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार :(बुखार, थकान, सूखी खाँसी, गले में खरास, नाक बंद लेकिन श्वास फूलने से पहले)

(I) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

4. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का विशेष उपचार :

(I) शारीरिक दर्द/ सिरदर्द के साथ बुखार के लिए नागरादि कषाय (ii) खाँसी के लिए शहद के साथ सितोपलादि चूर्ण गले में खरास/स्वाद में कमी के लिए व्योषादि वटी (iii) थकान के लिए च्यवनप्राश (iv) हाइपोक्सिया के लिए वासावलेह (v) दस्त के लिए कुटज घनवटी और श्वास फूलने पर कनकासव भी संलग्नक-3 के अनुसार या आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं।

5. कोविड-19 पश्चात् उपचार : (i) अश्वगंधा का एक्स्ट्रेक्ट 500 मिलिग्राम या चूर्ण 1-3 ग्राम एक माह तक गर्म पानी से दिन में दो बार (ii) च्यवनप्राश 10 ग्राम प्रतिदिन गर्म पानी/दूध के साथ एक बार (iii) रसायन चूर्ण एक माह तक प्रतिदिन शहद के साथ दो बार।

6. कोविड-19 की रोकथाम के लिए तथा कोविड-19 के बाद परिचर्या के लिए योग (प्राणायाम आदि):

संलग्नक-1 एवं 2 में योग प्रोटोकॉल 45 मिनिट एवं 30 मिनिट की अलग-अलग सारणी में बताये गये हैं, इनकी नियमित पालना भी आवश्यक है।

नोट:- उपर्युक्त प्रोटोकॉल (तीनों संलग्नकों सहित) की विस्तृत जानकारी भारत सरकार आयुष मंत्रालय की वेबसाईट पर एवं समता आंदोलन की वेबसाइट www.samtaandolan.co.in के होम पेज पर उपलब्ध है जिसका गम्भीरता से अवलोकन और पालन करेंगे तो शीघ्र ही भारत देश कोविड-19 से मुक्त हो जायेगा। कृपया आयुर्वेद एवं मानवता की सेवा के लिए इस पैम्फलैट को लगातार प्रचारित करते रहें। सादर।

निवेदक : समता आन्दोलन समिति (रजि.)

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in